# फर्द अहकाम

शान्ति देवी बनाम मधुर चावला वगै0

पत्र संख्या: 234/2024

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 19.09.2024 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉं पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब आने तक आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भू0अ0नि0क्षे0 शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 28 पुराना 29 में वर्णित खसरा नम्बर 81 रकबा 3.00 हैक्टेयर, में राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | नोटिस जारी<br>6339-6353 |
| 25/9/24 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शामिल [illegible] 3/10/2024 को पेश हो | |
| 26/9/24 | पत्रावली [illegible] में [illegible] बाबत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested